भारत सरकारकार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)\* \* \*

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या ：712

（दिनांक 16.08.2012 को उत्तर के लिए）

**दूरभाष अनुज्ञप्तियों के संबंध में केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो द्वारा जांचे गए मामले**

**712. श्री जय प्रकाश नारायण सिंह :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार अनुज्ञप्तियों के आवंटन से संबंधित अनेक मामलों की जांच करने वाले केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सी.बी.आई) की योजना अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने के पश्‍चात् ही समापन प्रतिवेदन दर्ज करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) सी.बी.आई द्वारा अभी भी किन-किन पक्षों की जांच की जानी है; और

(घ) दूरसंचार अनुज्ञप्तियों/स्‍पेक्‍ट्रम की जांच कब तक पूरी होने की संभावना है ?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वे. नारायणसामी)**

(क) और (ख) : दूरसंचार लाइसेंसों के आवंटन के संबंध में केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो द्वारा 3 नियमित मामले दर्ज किए गए हैं जो निम्‍नलिखित हैं :-

i) आर.सी.-डीएआई-2009-ए-0045, दिनांक 21.10.2009

ii) आर.सी.-डीएआई-2011-ए-0022, दिनांक 09.10.2011

iii) आर.सी.-डीएआई-2011-ए-0024, दिनांक 17.11.2011

आर.सी.-डीएआई-2009-ए-0045, में – दिनांक 02.04.2011 को आरोप पत्र, दिनांक 25.04.2011 को पहला अनुपूरक आरोप पत्र तथा दिनांक 12.12.2011 को दूसरा अनुपूरक आरोप पत्र दायर कर दिया गया है । कुछ मामलों में और जांच-पड़ताल लंबित हैं ।

मामला संख्‍या आर.सी.-डीएआई-2011-ए-0022 और आर.सी.-डीएआई-2009-ए-0024 अन्‍वेषणाधीन हैं ।

(ग) 1) केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो मामला संख्‍या आर.सी.-डीएआई-2009-ए-0045 में, विदेश में जांच-पड़ताल से संबंधित निम्‍नलिखित दो मुद्दे अन्‍वेषणाधीन हैं –

क) दोहरी तकनीक नीति स्‍वीकृति तथा इसको लागू करने में संदिग्‍ध प्रतिदान ।

ख) यूनीटेक लि. डाटा संदिग्‍ध प्रतिदान के बारे में अन्‍वेषण ।

2) मामला संख्‍या आर.सी.-डीएआई-2011-ए-0022 का अन्‍वेषण ।

3) मामला संख्‍या आर.सी.-डीएआई-2011-ए-0024 का अन्‍वेषण ।

(घ) आर.सी.-डीएआई-2011-ए-0024 की जांच-पड़ताल विधिक दृष्टि से की जा रही है ।

उपरिलिखित आर.सी.-डीएआई-2009-ए-0045 के बारे में 02 मुद्दों का अन्‍वेषण तथा आर.सी.-डीएआई-2011-ए-0022 के अन्‍वेषण को विदेश पत्र याचनाओं पर कार्रवाई हो जाने के बाद ही अंतिम रूप दिया जा सकता है ।

**\*\*\*\*\*\*\*\*\***